न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 29/22

GCMS NO 2022/51

1. सुखराम पुत्र भजनी (मृतक)
   1/1. रामराज
   1/2. पुखराज
   1/3. मुनेश पुत्रान स्व0सुखराम
   1/4. सुगमा देवी बेवा स्व0सुखराम
2. शिवलाल पुत्र भजनी (मृतक)
   2/1. ऋषिकेश
   2/2. अनिल पुत्रान स्व0शिवलाल
   2/3. बादामी देवी बेवा स्व0शिवलाल
   2/4. सीमा
   2/5. नरसो पुत्रियान स्व0 शिवलाल
3. रामपति पत्नि भजनी (मृतक हजफ) जातियान मीना निवासीयान कोयला तहसील बामनवास

अपीलांट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास
2. महेश पुत्र भजनी जाति मीना कोयला तहसील बामनवास

रेस्पो0

(अपील विरूद्ध मु0नं0 11/12 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.3.20 न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री योगेश शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 पैरोकार सरकार एवं श्री श्याम मोहन शर्मा

दिनांक 03.09.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.3.20 न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा वाद पत्र घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक ख0न0 50 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा स्थित ग्राम कोयला तहसील बामनवास है। जो वादीगण 1 ता 3 के पिता व वादिया संख्या 4 के पति भजनी पुत्र भोरया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है। भजनी का देहान्त हो चुका है वादीगण ही उसके वारिसान है। उक्त आराजीयात को वादीगण भजनी के जिंदा अवस्था से व उसके देहान्त के बाद लगातार बहैसियत खातेदार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। बंदोबस्त विभाग द्वारा साबिक ख0न0 50

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

के नये ख0न0 123 रकबा 3 ऐयर, 125 रकबा 22 ऐयर व खसरा न0 124 मे कुछ रकबा शामिल कर दिया जिसका खसरा न0 123 की खातेदारी तो राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीगण के नाम दर्ज की है लेकिन खसरा न0 124 व 125 को सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि उक्त आराजी साबिक रिकार्ड अनुसार वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है। भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियो को वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी को बिना किसी अधिकार के सिवायचक दर्ज करने का अधिकार नही था यहॉ तक कि साबिक रिकार्ड मे भी ख0न0 124 जैसा कोई स्थान नही था। भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियो द्वारा मनमाने तौर पर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादीगण की खातेदारी की भूमि को गलत प्रकार से सिवायचक व गैर मुमकिन रास्ता खसरा न0 124 मे शामिल कर दिया जबकि साबिक रिकार्ड के अनुसार ही पुनरावृति करनी चाहिए थी। इस प्रकार भू प्रबंध विभाग द्वारा वादीगण की खातेदारी की भूमि को गलत प्रकार से हटाकर सिवायचक दर्ज कर अपने अधिकारो का दुरूपयोग किया है। प्रतिवादी द्वारा यदि वादीगण को उनके कब्जे काश्त की आराजीयात से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को भारी आघात होगा। इसलिए प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण को धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का नोटिस दिये जाने के कारण वादी कारण उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वादीगण साबिक ख0न0 50 से बने हाल खसरा न0 ख0न0 124 का 5 ऐयर (खसरा न0 123 व 125 के मध्य का भाग) व ख0न0 125 का सम्पूर्ण 22 ऐयर स्थित ग्राम कोयला तहसील बामनवास का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती फरमाई जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनरस्थ न्यायालय से वादीगण /अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे प्रकरण मे विरचित तनकीयात का भी विवेचन नही किया है ना ही वादी द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया है। इस प्रकार तनकीयात का विवेचन ना कर तथा साक्ष्य का अवलोकन ना कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन ना कर निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे वादी के वादपत्र को दस्तावेजो के आधार पर सही मानते हुए भी गलत निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही प्रतिवादीगण को कानून से उपर उठकर अनुतोष देने का मन बना लिया हो जो कि गलत है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। वाद पत्र मे वादी संख्या 1 बाहर रहता है इसलिए उसे प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.3.20 व डिकी दिनांक 28.3.20 निरस्त किया जाकर वादीगण का वाद पत्र डिकी फरमाया जावे।

रेस्पो0 संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपीलांट के कथन का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार की जाकर वादी का वाद पत्र डिकी किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस मे बताया कि भूमि हाल खसरा न0 123 रकबा 0.03 व 125 रकबा 0.22 ऐयर साबिक ख0न0 50 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा से बने है। जो जमाबंदी सम्वत 2028 से 2031 से स्पष्ट है। जबकि हाल खसरा न0 124 रकबा 0.26 है0 साबिक ख0न0 33 मिन , 36 मिन, 32 मिन व 50 मिन से बना है। हाल खसरा न0 124 के सम्पूर्ण भाग पर वादीगण का कब्जा काश्त नही रहा है। भू प्रबंध विभाग द्वारा मौके के अनुसार ही सिवायचक दर्ज किया है। इसी प्रकार वादीगण खसरा न0 125 रकबा 0.22 है0 मे से रकबा 0.14 है0 पर ही काबिज है। साबिक रिकार्ड मे भूमि साबिक खसरा न0 50 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि की किस्म तालाबी दर्ज है। जो प्रदर्श 4 से स्पष्ट है। इस प्रकार तालाबी भूमि पर वादीगण के अधिकार सृजित नही हो सकते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तालाबी भूमि पर वादीगण के अधिकार नही होने से दावा विधिक रूप से खारिज किया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि हाल भू प्रबंध विभाग द्वारा साबिक ख0न0 50 के नये ख0न0 123 रकबा 3 ऐयर, 125 रकबा 22 ऐयर व खसरा न0 124 मे कुछ रकबा शामिल कर दिया जिसका खसरा न0 123 की खातेदारी तो राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीगण के नाम दर्ज कर दी लेकिन खसरा न0 124 व 125 को सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि उक्त आराजी साबिक रिकार्ड अनुसार वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है। भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियो को वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी को बिना किसी अधिकार के सिवायचक दर्ज करने का अधिकार नही था। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अधार वर्ष 2028 से 2031 मे आरजी साबिक ख0न0 50 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भजनी पुत्र भौरया के नाम दर्ज है परन्तु भूमि की किस्म तालाबी दर्ज है। जबकि अपीलांट का कथन रहा कि भूमि काश्त की आराजी है। अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किये एवं बिना तनकीयात को विचरीत कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट के इस कथन की पुष्टि अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का भी विवेचन नही किया है। जबकि घोषणात्मक वाद मे वादी एवं प्रतिवादीगण की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विधि अनुसार विवेचन किये जाने के उपरान्त ही सही तथ्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय के समक्ष आते है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानो के तहत पारित नही कर केवल मात्र प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे को आधार बनाकर ही पारित किया गया है। जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को वादी एवं प्रतिवादीगण की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना विधि सम्मत है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 11/12 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.3.20 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे वादी एवं प्रतिवादीगण की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 29.9.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:24:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner